राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर
बी–39, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001

राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan

Rajasthan Nursing Council, Jaipur
B-39, Sardar Patel Marg, C-Scheme, Jaipur-302001

क्रमांकः प.06(20)/आरएनसी/जीबी बैठक/2025/3087 दिनांक : 11/09/2025

कार्यालय आदेश

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल के आदेश क्रमांक प.6(20)/आरएनसी/जीबी बैठक/2025/1944 दिनांक 23–07–2025 के द्वारा कौंसिल के द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में परीक्षा संबंधी निम्नलिखित विभिन्न कार्यो/सेवाओं का सम्मुख अंकित अनुसार संशोधित दरों से भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी हैः–

क्र. सं.	विवरण	संशोधित मानदेय/देय दर
1.	पैपर सेटर मानदेय	1500/–प्रति पेपर
2	परीक्षा अधीक्षक	1000/–रूपये
3.	परीक्षा–पर्यवेक्षक	900/–रूपये
4.	परीक्षा उपाधीक्षक	700/–रूपये
5.	वीक्षक	700/–रूपये
6.	उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षण	35/–रूपये प्रति छात्र
7.	मौखिक एवं प्रायोगिक परीक्षक	35/–रूपये प्रति छात्र
8.	उत्तर पुस्तिका पुर्नगणना	700/–रूपये प्रति दिवस
9.	कम्प्यूटर दक्ष तकनीकी कर्मचारी	500/–रूपये प्रति परीक्षा सेशन
10.	सुरक्षा गार्ड (02 सुरक्षा गार्ड प्रति परीक्षा दिवस प्रति केन्द्र)	500/–रूपये प्रति परीक्षा दिवस प्रति केन्द्र
11.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (150 परीक्षार्थियों पर 01 च.श्रे.क)	300/–रूपये प्रति परीक्षा दिवस प्रति केन्द्र
12.	सफाई कर्मचारी (अधिकतम 02 कर्मचारी)	300/–रूपये प्रति परीक्षा दिवस प्रति केन्द्र
13.	डाक व्यय	डाक व्यय/ कोरियर व्यय बाबत मूल रसीद प्रस्तुत करने पर वास्तविक व्यय का पुनर्भरण किया जायेगा
14.	अन्य विविध व्यय	जनरेटर किराया वास्तविक व्यय (अधिकतम 2000/–रूपये प्रति परीक्षा दिवस)

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल की गवर्निंग बोर्ड की बैठक दिनांक 16–07–2025 के ऐजेन्डा संख्या 18 में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के अनुसरण में जारी उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रभावी किये गये है।

शेष मदों के क्रम में भुगतान की दरें पूर्व समसंख्यक आदेश क्रमांक 177 दिनांक 20–07–2023 के अनुसरण में निम्नानुसार ही प्रभावी रहेगी :–

क्र. सं.	विवरण	मानदेय/देय राशि
1.	फलाईंग स्क्वायड	600/–रूपये प्रति व्यक्ति (दल को वाहन सहित)
2.	भवन एवं फर्नीचर किराया भुगतान के संबंध में।	A- जिन नर्सिंग संस्थानों का स्वयं का भवन है, उनको आरयूएचएस के अनुरूप लिखित परीक्षा अयोजन हेतु 15/–रूपये प्रति परीक्षार्थी, प्रति परीक्षा दिवस की दर से Fix charges for Center Management के रूप में भुगतान किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। B- सरकारी नर्सिंग संस्थान को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने एवं स्वयं का पर्याप्त भवन नही होने की स्थिति में लिये गये किराये के भवन हेतु भुगतान किया गया वास्तविक किराया एवं सरकारी नर्सिंग संस्थान में अपर्याप्त फर्नीचर

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर
बी–39, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001

राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan

Rajasthan Nursing Council, Jaipur
B-39, Sardar Patel Marg, C-Scheme, Jaipur-302001

		होने पर फर्नीचर किराये के वास्तविक भुगतान का सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। निजी नर्सिंग संस्थानों को भवन किराये के रूप मे कोई भी राशि देय नही होगी। केवल केन्द्र प्रबन्धन हेतु नियत राशि 15/–रूपये प्रति परीक्षार्थी की दर से भुगतान किया जायेगा।
3.	मानदेय भुगतान	राजकीय/निजी प्रशिक्षण केन्द्रों पर मुख्य परीक्षा (जीएनएम/एएनएम) की प्रायोगिक परीक्षा हेतु मानदेय/ किसी प्रकार का भुगतान देय नही होगा। पूरक परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र बनाये जाने पर यदि अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों के परीक्षार्थियों को शामिल किया जाता है तो प्रायोगिक परीक्षा हेतु मानदेय राजस्थान नर्सिंग कौंसिल द्वारा नियत दरों पर देय होगा।
4.	आवागमन व्यय	(अ)– परीक्षा केन्द्र से डाकघर/कोरियर केन्द्र तक (आने–जाने) स्पीड पोस्ट/कोरियर कराने हेतु किराये के रूप में अधिकतम 200/– रूपये प्रति परीक्षा दिवस की दर से भुगतान किया जायेगा। (ब)– किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को Conveyance Charges के रूप में अन्य कोई भुगतान नही किया जायेगा।
5.	अन्य विविध व्यय	1. पानी व्यवस्था–1/–रूपये प्रति परीक्षार्थी 2. पैकिंग मेटेरियल/पैंकिंग चार्जेज– वास्तविक व्यय 3. कम्प्यूटर/प्रिन्टर किराया–वास्तविक व्यय

(जोईस कुरियन)
रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांकः प.06(20)/आरएनसी/जीबी बैठक/2025/3087 दिनांक : 11/09/2025

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य) एवं पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
2– सभी नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर्स
3– लेखा/शैक्षणिक अनुभाग, आरएनसी, जयपुर
4– रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर